

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाजी प्रभुदास देसाजी

अंक ३

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी बाबाभाजी देसाजी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २१ मार्च, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें ६० ६
विदेशमें ६० ८; शि० १४

अनिवार्य शिक्षा

मैं निश्चयके साथ तो यह नहीं कह सकता कि मैं अनिवार्य शिक्षणका कभी विरोध करूंगा ही नहीं। किसी भी बातको — फिर वह चाहे जितनी अच्छी हो — अनिवार्य बनानेसे मुझे सख्त नफरत है। जिस तरह मैं जबरन लोगोंसे व्यसन नहीं छुड़ाऊंगा, उसी तरह जबरन उन्हें शिक्षा भी नहीं दूंगा। लेकिन जिस तरह मैं शराबकी नयी दुकानें खोलनेसे अिन्कार करके और मौजूदा दुकानें बन्द करके शराबकी बुराजीको मिटाऊंगा, उसी तरह मैं ज्ञानके रास्तेमें आनेवाली रुकावटें दूर करके तथा प्रजाकी जरूरतोंको पूरा करनेवाली शिक्षाकी मुफ्त शालायें खोलकर प्रजाकी निरक्षरताको मिटाऊंगा। लेकिन आज तो हमने मुफ्त शिक्षाका कोअी प्रयोग बड़े पैमाने पर किया नहीं है। हमने बच्चोंके माता-पिताको अिसके लिये किसी तरह ललचाया भी नहीं। हमने प्रजाको अक्षर-ज्ञानकी कीमत जितनी चाहिये अतनी या बिलकुल नहीं समझायी है। हमारे पास अैसी शिक्षा देनेवाले योग्य शिक्षक भी नहीं हैं। अिसलिये मुझे तो अैसा लगता है कि आज शिक्षाको अनिवार्य बनानेका विचार असामयिक होगा।

मैं यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि जहां-जहां अनिवार्य शिक्षाका प्रयोग किया गया है, वहां वह सफल ही हुआ है। अगर देशके बहुसंख्यक लोग शिक्षाको जरूरी मानते हों, तो अुसे अनिवार्य बनानेकी जरूरत ही नहीं है। और यदि वे शिक्षाको जरूरी न मानते हों, तो अुसे अनिवार्य बनानेसे बहुत नुकसान होगा। प्रजाके प्रचंड विरोधकी परवाह न करके तो कोअी निरंकुश और अत्याचारी सरकार ही कानून बना सकती है।

क्या प्रजाके बहुत बड़े भागके बच्चोंकी शिक्षाके लिये सरकारने सारी आवश्यक सुविधायें दी हैं? पिछले सौ बरस या अिससे भी ज्यादा समयसे हम अैसे राज्यतंत्रके बोझके नीचे कुचले जाते रहे हैं, जिसमें दबाव और जोर-जुल्मका ही बोलबाला रहा है। यह राज्यतंत्र हमसे पूछे बिना ही विविध शाखाओंवाले हमारे जीवन पर शासन करता है। अभी तक अुसने प्रजासे जबरन सब कुछ कराया है। अिसलिये अर्जियों, आजिजी या प्रार्थनाओंका अुस पर कोअी असर नहीं होता। क्योंकि जनताने अभी तक सरकारसे जो आजिजी या प्रार्थनायें की हैं, अुन पर अुसने कोअी ध्यान नहीं दिया है। अिसलिये अैसी सरकारसे जनता दूसरा क्या सीख सकती है? स्वेच्छापूर्वक किये जानेवाले प्रयत्नसे कोअी सुधार ही नहीं सकता, अैसा माननेकी जब प्रजाको आदत हो जाती है, तो अिससे बढ़कर अुसके सच्चे विकासको रोकनेवाली दूसरी कोअी चीज नहीं है। अिस तरह दबावके तंत्रके नीचे जो प्रजा तालीम पाती है, वह स्वराज्यके लिये बिलकुल अयोग्य होती है। अिसलिये मेरी अुपरकी दलीलका यह सार निकलता है कि आज अगर हमें स्वराज्य मिल जाय, तो जब तक अैच्छिक प्राथमिक

शिक्षणके सारे प्रामाणिक प्रयोग निष्फल न हो जायं, तब तक तो मुझे अनिवार्य शिक्षाका विरोध ही करना चाहिये। पाठक अितना जरूर याद रखें कि आजसे ५० बरस पहले देशमें जितनी निरक्षरता थी, अुससे आज ज्यादा है। और अुसका कारण यह नहीं है कि प्रजा अपने बच्चोंको शिक्षा नहीं देना चाहती, बल्कि यह है कि प्रजाके पास पहले शिक्षणकी जितनी सुविधायें थीं, वे सब अेक कृत्रिम और विदेशी राज्यतंत्रके नीचे खतम हो गयी हैं। हमें यह मान लेनेका क्या हक है कि घरके आंगनमें मुफ्त शिक्षाकी व्यवस्था हो, तो भी माता-पिता अितने मूर्ख या निर्दय हैं कि वे अपने बच्चोंकी शिक्षाकी परवाह नहीं करेंगे?

('यंग अिडिया', १४-८-२४)

मो० क० गांधी

हाथ-अुद्योग द्वारा क्रांति

बम्बअीसे अेक व्यापारी भाजी लिखते हैं :

“मैं बीस वर्षसे कपड़ेका व्यापार करता हूँ। मेरा व्यापार हाथ-करघे, बिजली-करघे (पावर-लूम) और मिलके कपड़ेका है। अिसलिये हाथ-बुनाजीके कपड़ेके बारेमें मुझे अच्छा अनुभव है।

“मैं मानता हूँ कि हाथ-करघेके अुद्योगको बढ़ावा देनेके लिये मिलोंको रंगीन और खास किस्मकी साड़ियोंकी बुनाजीके बारेमें जो मनाही की गयी है, वह ठीक ही है।

“चूँकि मुझे हाथ-करघेके कपड़ेकी खरीदीके लिये भिन्न-भिन्न हाथ-करघेके कपड़ेके अुत्पादन-क्षेत्रोंमें जानेका मौका आता है, अिसलिये मिल-कपड़ेके अुत्पादनमें लगे हुअे मजदूरों और हाथ-करघे पर काम करनेवाले बुनकरोंके जीवनकी तुलना करनेके मुझे कअी मौके मिलते हैं। और मैंने हमेशा यह बात महसूस की है कि मिल-मजदूरकी तुलनामें हाथ-करघेके बुनकरका जीवन अधिक जीने लायक माना जा सकता है; और अुसे ही अधिक बढ़ावा देनेकी जरूरत है।

“यदि हमें अपने गांवोंको बरबादीसे बचाना हो, गांवोंके लोगोंको पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था या 'स्टेट कैपिटलिज्म' (राष्ट्रीय पूंजीवाद) की गुलामीसे मुक्त रखना हो, अुन्हें कर्कश मशीनों और शहरोंके घनी आबादीवाले गन्दे और अनैतिक वातावरणके बीच रहकर पशु बननेसे बचाना हो, तो हमें हाथ-बुनाजीके अिस अुद्योगको जिन्दा रखना ही चाहिये।

“और अिसके लिये हम मिलों पर जितने भी नियंत्रण रखें, अुतने थोड़े हैं। लेकिन मेरा अनुभव यह बताता है कि केवल मिलों पर नियंत्रण रखकर बैठे रहनेसे भी कोअी खास लाभ नहीं होगा।

“मेरी रायमें हाथ-बुनाजीके कपड़ेके बारेमें चार मुख्य शिक्षायतें हैं: (१) वह बहुत षटिया किस्मका होता है; (२)

बुसका कोभी खास 'स्टेण्डर्ड' नहीं होता; (३) बुसके रंग कच्चे होते हैं; और (४) बुसकी बुनायी बहुत झीनी होती है (खास करके साड़ियोंमें शुरू-शुरूके अंक-दो गज तक तो ठीक होती है, लेकिन बादमें अन्दरके भागमें बिलकुल जाली जैसी होती है) और नापमें पाव गज कम होता है। फिर धोनेके बाद वह बहुत सिकुड़कर छोटा हो जाता है और बुसका पोत बेकार-सा बन जाता है।

"ये सब शिकायतें अतनी अधिक आम बन गयी हैं कि लोग हाथ-बुनायीका कपड़ा खरीदते हुअे हिचकिचाते हैं और मजबूरीसे ही उसे खरीदते हैं।

"जिसलिये जब तक हम अपने हाथ-बुनायीके कपड़ेका दर्जा (क्वालिटी) नहीं सुधारेंगे, बुसका अंक खास स्तर (स्टेण्डर्ड) कायम नहीं रखेंगे, बुसके रंगके पक्के होनेकी और नापमें पूरा होनेकी गारंटी नहीं देंगे, तब तक हम जिस बारेमें अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे।"

यह साफ है कि ये भांजी बिलकुल सही बात कहते हैं। वे जो बात सुझाते हैं, उसे कौन करे? वह किस तरह हो? — यही बड़ा सवाल है। ये भांजी अपने पत्रमें सुझाते हैं कि हरअेक उत्पादन-केन्द्रमें अंक-अंक समिति जिस कामके लिये नियुक्त की जाय। बात ठीक भी है। यह समिति कारीगरोंको ही बनानी चाहिये। बेशक, लोकसेवक बुसमें मदद करें, प्रोत्साहन दें। लेकिन आखिर तो कारीगरोंको ही यह काम सहकारिताके आधार पर करते सीखना चाहिये। जो दोष पत्रलेखक बताते हैं, बुसमें कुशलताके अभावके बजाय शायद अप्रामाणिकता ही कारण हो सकती है। तो जिस नैतिक दोषको दूर करना कारीगरोंके हाथकी बात है। सब साथ मिलकर जरूरी-निर्णय करें; चाहें तो बुस पर अपनी पंचायत द्वारा प्रतिबंध लगवा सकते हैं। हाथ-बुद्योगके अलुत्कर्षमें मनुष्य और बुसकी कारीगरी तथा नीतिमत्ता और श्रम यह अंक बड़ी पूंजी और काम देनेवाला बल है। यंत्रोद्योगमें धन और यंत्र द्वारा शोषणका बल होता है। जिस भेदको ध्यानमें रखकर यदि हमारा कारीगर वर्ग काम करने लगे, तो हम गृह-बुद्योग और ग्रामोद्योगों द्वारा जो आर्थिक और औद्योगिक क्रांति करना चाहते हैं, वह बिलकुल आसान चीज बन जाय।

१४-३-५३

मगनभाजी देसाजी

(गुजरातीसे)

यह काफी नहीं है

ब्रिटिश सूचना-विभाग, नयी दिल्लीने 'ब्रिटेनकी विदेश-नीति' पर अंक पत्रिका निकाली है, जिसमें ब्रिटेनकी विदेश-नीतिके ध्येयों और बुद्ध्योंके बारेमें प्रसिद्ध लेखकोंके तीन लेख छपे हैं। उनमें से अंक हैं सर अर्नेस्ट बार्कर, जो केम्ब्रिजके प्रसिद्ध राज-नीतिक दार्शनिक हैं। वे 'स्वतंत्रता, सलामती और खुशहाली' पर लिखते हुअे कहते हैं:

"ब्रिटेनकी विदेश-नीतिका मुख्य ध्येय ब्रिटेनकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहाली है और जिस ध्येयके साथ ब्रिटेनसे राष्ट्रसमूहकी समान सदस्यताके नाते जुड़े हुअे सारे देशोंकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीका ध्येय भी अभिन्न रूपसे जुड़ा हुआ है।"

यहां कोभी अंसी दलील कर सकता है कि यह कथन किसी राष्ट्र और बुसके मित्रों द्वारा अपनायी जानेवाली विदेश-नीतिके संबन्धमें लगभग अंक सत्यको ही बताता है। लेकिन सवाल यह नहीं है। हम जो जानना चाहते हैं, वह दूसरी चीज है। विश्वशान्ति और विश्वकी सलामतीकी दृष्टिसे हमें यह जानना चाहिये कि कोभी राष्ट्र या बुसके मित्र अंक समूहके नाते दूसरे

राष्ट्रोंके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ताकि दूसरे राष्ट्रोंकी और जिस तरह सारी दुनियाकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहाली सबका संयुक्त और परस्पर आश्रित प्रयत्न बन जाय? विद्वान प्रोफेसर शायद अंसे प्रश्नका उत्तर देनेके लिये आगे चलकर कहते हैं:

"किसी देशकी सरकार बुसके ट्रस्टीके रूपमें है, जो देशकी तरफसे सारा कामकाज चलाती है। और ट्रस्टीको बुन लोगोंके कल्याणके लिये काम करना चाहिये, जिनके हितोंके लिये वह जिम्मेदार है। वह अपनी मर्जी या बुद्धिसे कोभी काम नहीं कर सकता। बुसे हमेशा अपने काममें बुसीके हित और कल्याणका सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, जिसका वह संरक्षक बना हुआ है। अंसे ट्रस्टीके नाते ब्रिटेनकी सरकारको अपनी विदेश-नीतिमें ब्रिटेनकी प्रजाकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीके तीन मुख्य ध्येयोंको बढ़ानेका ध्यान रखना होगा।"

किसी भी राष्ट्रकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहाली केवल बुसका अपना ही स्वतंत्र हित नहीं है — वह दूसरे राष्ट्रोंके जिस हितके साथ जुड़ा हुआ है। दुनियाके सभी राष्ट्र अपने लिये बुनका चाह रखते हैं। और हरअेक राष्ट्रकी सरकारको, बुसकी तरफसे ट्रस्टीके रूपमें काम करते हुअे, अपने राष्ट्रके लिये स्वतंत्रता, सलामती और खुशहाली हासिल करनेका अधिकार है। लेकिन यहां मुख्य प्रश्न तो यह है कि अंक राष्ट्रकी स्वतंत्रता, सलामती या खुशहाली दूसरे राष्ट्रोंकी स्वतंत्रता, सलामती या खुशहालीको नुकसान पहुंचाकर अथवा बुनकी बिलकुल परवाह न करके सिद्ध नहीं की जानी चाहिये। सारी दुनिया अंक है और सारे मानव-परिवारको, यानी बुसके सारे अवयवोंको, दुनियाके विभिन्न राष्ट्रोंको, मानव-कल्याणकी प्राप्तिके लिये समान रूपसे अिन तीनों चीजोंकी जरूरत है। राष्ट्रोंके सामने सवाल यह है कि अिन्हें कैसे प्राप्त किया जाय। अंसी हालतमें किसी राष्ट्रकी विदेश-नीति क्या होनी चाहिये? या विदेश-नीतिका प्रश्न भविष्यमें निर्माण की जानेवाली विश्व-सरकारका माना जाय, और अलग-अलग राष्ट्र बुसके बारेमें अभी कुछ न सोचें? जिसका अंकमात्र जंचता हुआ उत्तर यही है कि किसी राष्ट्रकी विदेश-नीतिका ध्येय शान्ति भी होना चाहिये; और बुसकी सिद्धिके लिये राष्ट्रको जिसका खयाल रखना चाहिये कि बुसकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीका दूसरे सारे राष्ट्रोंकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीसे कोभी विरोध न हो। अपने राष्ट्रके बुद्धिमान ट्रस्टीके नाते किसी देशकी सरकारको दूसरोंसे बिलकुल अलग-थलग और स्वार्थी नहीं होना चाहिये; बुसे सारे मानव-परिवारके समान कल्याणमें और बुसके जरिये अपने राष्ट्रका कल्याण चाहना चाहिये। यह भी किसी राष्ट्रकी विदेश-नीतिका सजीव ध्येय होना चाहिये; बल्कि भीतरी और बाहरी कामकाजसे — न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक, व्यापारिक वगैरा भी — संबंध रखनेवाली नीतिके सारे प्रश्नोंमें यही अंक मुख्य ध्येय होना चाहिये। क्योंकि आखिरमें अिन तीनोंके पीछे रही स्वार्थी दृष्टि ही राष्ट्रोंके बीच युद्धोंको जन्म देकर स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीको खतरेमें डालनेका कारण बनती है। जिसलिये किसी देशके लिये केवल अपनी ही स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीको बनाये रखना काफी नहीं है; बुसे दूसरे देशोंकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीका पूरा खयाल रखकर अंसा करना चाहिये। क्योंकि ये तीनों चीजें दुनियाकी सारी सरकारोंकी संयुक्त चिन्ताके विषय हैं।

१३-३-५३

(अंग्रेजीसे)

मगनभाजी देसाजी

दुराचार और आधुनिक परिस्थितियां

[अखिल भारतीय नैतिक और सामाजिक शुद्धाचार परिषद्के तृतीय अधिवेशन (लखनऊ, २८ जनवरी १९५३)का अद्यतन करते हुये श्री के० अम० मुंशी द्वारा दिये गये भाषणकी २९ जनवरी, १९५३ के 'नेशनल हेराल्ड' में प्रकाशित रिपोर्टसे।]

मैं चाहता हूँ कि परिषद् अनेक कारणों पर विचार करे, जो दुराचारके व्यापारको बढ़ा रहे हैं।

संयुक्त परिवार और जाति

संयुक्त परिवारकी संस्था, जो निराश्रित स्त्रियोंका पालन करती थी और जिस तरह अन्हें कुमार्ग पर जानेसे रोकती थी, टूटती जा रही है। पिछले कालमें हरएक जातिका अपना लोकमत, सामाजिक और नैतिक आचार तथा अुसकी रक्षाके लिये अपना तंत्र होता था। अुसके कारण अुच्छृंखल व्यवहार पर अंकुश रहता था और जाति पर अपने निराश्रित सदस्योंके पालन-पोषणकी सामूहिक जिम्मेदारी होती थी। आजकल हमारे देशके शिक्षित लोगोंमें जातिकी भावना लगभग गायब हो गयी है।

आधुनिक शहरी जीवन

दूसरा बड़ा कारण, जो जिस समस्याको बहुत बढ़ा रहा है, बड़े-बड़े शहरोंकी बढ़ती है। अैसे शहरोंमें जातिकी भावना कमजोर होने लगती है, जातिका अंकुश वहां संभव नहीं रह जाता और पश्चिममें प्रचलित सामुदायिक जीवन अभी असंघटित है। स्त्रियों और पुरुषोंकी संख्यामें फर्क बढ़ता जा रहा है।

बड़े शहरोंमें जहां अपूरके वर्ग पश्चिमी ढंगका जीवन अस्तित्वापर कर लेते हैं, वहां शिक्षित स्त्रियां सामान्य स्त्रियोंसे भिन्न जीवन बिताने लगती हैं। वे कोअी शारीरिक काम नहीं करतीं और बच्चोंके पालन-पोषण तकका काम नौकरानियों पर छोड़ देती हैं। गुजरे जमानेमें स्त्री पद और प्रतिष्ठामें जितनी अपूर होती थी, अपने आचरणमें वह अुतने ही कठिन अनुशासनका पालन करती थी। लेकिन अब गांवसे या गरीब घरसे आअी नौकरानी अपनी मालकिनकी बहुत बारीक साड़ी और गले पर दूर तक खुला हुआ ब्लाअुज पहने देखकर तथा पुरुषोंसे स्वतंत्रतापूर्वक मिलते-जुलते देखकर पहले तो हैरान रह जाती है। फिर धीरे-धीरे अुसे अभ्यास हो जाता है और वह समझने लगती है कि शिष्टता और सभ्यता यही है। मालकिनका रहन-सहन अुसकी अीर्ष्याका विषय हो जाता है। वह अपनी मालकिनकी नकल करना शुरू कर देती है। लेकिन अुसे जिस नकलके लिये पुरुष नौकरोंके सिवा कोअी दूसरा सामाजिक जीवन नहीं मिलता। जिस हालतमें, जैसा कि स्वाभाविक है, अुसकी नैतिक विधि-निषेधकी भावना टूट जाती है। और तब वह अैसा रोजगार अुठा लेती है, जो अुसे अुसकी मालकिनकी तरह रहनेकी अिच्छा — दिखावटी रूपमें ही क्यों न हो — पूरी करनेका मौका देता है।

पश्चिमसे सम्पर्क

पश्चिमके सम्पर्कमें हमने कअी अैसे विचार अपना लिये हैं, जिन्होंने हमारी नैतिक और आध्यात्मिक मर्यादाओंमें फर्क पैदा कर दिया है। नारीका पावित्र्य भारतमें अविचल निष्ठाका विषय था। सारे देशमें, सब लोगोंमें जिस निष्ठाकी प्रतिष्ठा थी, और अुसमें किसीने कभी कोअी सन्देह नहीं किया। यहां तक कि जो जातियां संस्कृतिके अभावमें अुसे व्यवहारमें नहीं मानती थीं, वे भी अुसे अुच्चतर सामाजिक जीवनकी विशेषताके रूपमें देखती थीं, और अुसकी अिच्छा करती थीं। किन्तु अब तो जो वर्ग अुसे जीवनके बुनियादी नियमकी तरह स्वीकार करते थे, वे खुद ही अुसमें सन्देह करने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप जिस विश्वासकी पकड़ अुनमें बहुत क्षीण हो गयी है। विवाह अुस समय अेक धार्मिक

संस्कार था, वह दो आत्माओंका मिलन होता था। आधुनिक विचार-प्रणालीने अुसे करारका रूप दे दिया है, जो कभी भी तोड़ा जा सकता है। जिससे ज्यादा बुरी बात यह है कि जहां पश्चिमका प्रभाव बहुत ज्यादा है, वहां विवाह सुखके साधनकी तरह देखा जाने लगा है। हमारा सौभाग्य है कि भारतमें अधिकांश वर्गोंमें विवाहकी पवित्रता पर आज भी गहरी आस्था मौजूद है।

अेक दूसरा कारण विभाजनके बाद हमारे यहां, खासकर घनी आबादीवाले बड़े-बड़े शहरोंमें, विस्थापित निर्वासितोंका बहुत बड़ी संख्यामें आना भी है।

जिस सारी परिस्थितिका अेक और लक्षण व्यवहारकी कुछ हितकारी रूढ़ियोंका गायब हो जाना है। अुदाहरणके लिये, भारतमें लड़के-लड़कियां या पुरुष-स्त्रियां अेक-दूसरेके शारीरिक स्पर्शसे बचते थे, सिवा कि वे पति-पत्नी हों। जिसके विषयमें हमारे मनमें अेक स्वाभाविक निषेधका भाव था। यह रूढ़ि कामवृत्ति पर कठिन बंधनका काम करती थी। पश्चिमके सम्बन्धने अुसे भी तोड़ दिया है।

कामोत्तेजक प्रचार

लेकिन दुराचारकी वृद्धिका किसी भी दूसरे कारणसे अधिक जोरदार कारण तो शहरों और शहरी क्षेत्रोंमें चलनेवाला कामोत्तेजक प्रचार है। जिस प्रचारके वाहक अनेक हैं, अखबार, सिनेमा-घर, अश्लील गीत और साहित्य। ये सब रोज-रोज हमें अुन सारे सामाजिक और नैतिक निषेधोंको तोड़नेका सबक सिखाते हैं, जिन्होंने शताब्दियोंसे हमारे मनमें आत्म-संयमका संस्कार जमाया है। सिनेमासे अगर कोअी सबसे भयंकर हानि हुअी है, तो वह स्त्री-पुरुष-भर्यादाकी पवित्रताका विनाश ही है। आधुनिक विज्ञापन भी कामोत्तेजक शब्दों या चित्रों द्वारा काम-संयमके जिस संस्कारको क्षीण करते हैं। जिस परिषद्का कर्तव्य है कि वह देशको जिस बुराअीसे मुक्त करनेके आन्दोलनका नेतृत्व करे।

जन्म-निरोध

हमारी परिवार-नियोजन सम्बन्धी प्रवृत्तियां भी बहुत सावधानीसे चलाअी जानी चाहियें। अभी निकट भविष्यमें अैसा नहीं लगता कि अुनका हमारी जनसंख्याकी वृद्धि पर कोअी खास असर होगा। हमारे यहां प्रतिदिन १०,००० की वृद्धि होती है। अगले १० सालमें जिस संख्यामें १,००० की भी कमी होगी या नहीं, जिसमें शक मालूम होता है। साथ ही अमेरिका तथा दूसरे देशोंमें परिवार-नियोजनके जोरदार प्रचारके बहुत अनिष्ट परिणाम आये हैं, जैसा कि वहांकी सामाजिक स्थितिका जिस दृष्टिसे खोज करनेवालोंने बताया है। हमारे यहां भी जिस प्रचारके अैसे ही परिणाम आ सकते हैं। जिससे विवाह-संस्थाकी पवित्रता मिटने लगती है, और समाजकी नैतिक बुनियादके क्षीण हो जानेके कारण परिवारकी व्यवस्था टूटने लगती है। जन्म-निरोधके साधनोंके अत्यधिक प्रचारसे लोगोंको लगता है कि संयमकी अब कोअी जरूरत नहीं, स्त्री-पुरुषोंके अनैतिक सम्बन्धोंमें कोअी डर नहीं, और शादीकी बजाय जन्म-निरोधके साधन अधिक अुपयोगी हैं, क्योंकि बिना कोअी जिम्मेदारी अुठाने शादीका सुख अुनसे मिल जाता है।

(अंग्रेजीसे)

शाराबबन्दी क्यों ?

लेखक : भारतन् कुमारप्पा

अनुवादक : रामनारायण चौधरी

कीमत ०-१०-०

डाकखर्च ०-३-०

नवजीवन प्रकाशन मन्डिर, अहमदाबाद - ९

हरिजनसेवक

२१ मार्च

१९५३

स्वच्छता, खाद और कूड़ा-करकट

अखिल भारतीय खादी-ग्रामोद्योग बोर्डको तुरन्त खादी और दूसरे दस ग्रामोद्योगोंका काम सौंपा गया है। ये उद्योग कौन-कौनसे हैं, यह हम ता० ७-३-५३ के 'हरिजनसेवक' में छपे अग्रलेखमें देख गये हैं। जिसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि यदि बोर्ड दूसरा कोई उद्योग आसानीसे बढ़ा या विकसित कर सके, तो उसे असा नहीं करना चाहिये। जैसे कि खादीको फिरसे गांवोंमें प्रज्जमाते हुये बोर्डको स्वभावतः गांवके दूसरे अनेक उद्योगों और अनुमं लगे हुये कारीगरोंकी तरफ भी ध्यान देना होगा। जिसका कारण यह है कि खादीका काम असा है, जिसके साथ दूसरे कमी काम जुड़े हुये हैं। बोर्डको असा काम करना है, जिससे गांवके लोग हिलमिलकर रहें, स्वदेशीकी सच्ची भावना फिरसे जाग्रत-करके अपना कामकाज करने लगे और गांवका जीवन समृद्ध और खुशहाल बने। जिसलिये खादी और दूसरे १० उद्योगोंके साथ ही सुतारी, लुहारी, कुम्हारी वगैरा अनेक धन्वे तथा अनुमं वैज्ञानिक सुधार और अनुके शिक्षणका प्रश्न अपने आप जिस योजनाके साथ जुड़ जायगा। और यह सब यदि गांवके लोग समझ, बुद्धि, होशियारी तथा परस्पर सहकार व सेवाकी भावनासे करें, तो उन्हें अद्भूत सामाजिक शिक्षण भी अपने-आप मिलेगा। कामके जरिये शिक्षणका गांधीजीका बुनियादी तालीमका मंत्र यहां भी अपुयोगी सिद्ध होगा। जिसलिये खादी-ग्रामोद्योग बोर्डको जिस ढंगसे जिन सारे कामोंको आपसमें जोड़ देना चाहिये।

असे कामोंमें एक काम बुनियादी है, जिसे अलगसे गिनाना ठीक होगा। वह काम है हमारे गांवोंकी स्वच्छता और तंदुरुस्तीका और उसीके साथ जीवित सम्बन्ध रखनेवाले और अनुकी खेतीके लिये प्राणरूप सिद्ध होनेवाले खाद और कूड़े-करकटका। जिन दोनों बातोंका बड़ा गहरा और अटूट सम्बन्ध है। जिसे ध्यानमें रखकर यदि हम काम करें, तो हमें एक असा व्यापक कार्यक्रम मिल सकता है, जिसे सफल बनानेके लिये सरकारका स्वास्थ्य-विभाग, खेती-विभाग, समाजशिक्षा-विभाग खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड वगैरा कितनी ही संस्थायें मिलकर काम कर सकती हैं। जिस सम्बन्धमें यहां मैं पाठकोंको श्री बर्वेके लेख 'जिस नरकासुरका संहार करो' की याद दिलाता हूं, जो 'हरिजनसेवक' के १४-२-५३ के अंकमें छपा है।

खेतीके लिये खादकी बड़ी जरूरत है। वैसे देखा जाय तो हमारे देशमें उसकी कमी नहीं है। लेकिन हमारे राष्ट्रकी अपार सम्पत्ति और समृद्धिकी ठीक-ठीक व्यवस्था नहीं हो पाती। मिसालके लिये, हम हड्डी, चमड़ा और तिलहन बहुत बड़ी मात्रामें बाहर भेजते हैं। पर उसमें से कचरेके रूपमें गिरनेवाला खाद बरबाद होने देते हैं। गोबर और मलमूत्र तथा पेड़-पत्तोंके कचरेका सोने जैसा खाद या तो सस्ते और पूरे अंधनके अभावमें हम जला डालते हैं या जहां-तहां गन्दगीके रूपमें बरबाद होने देते हैं और उससे पैदा होनेवाले रोग वगैराका दुःख भोगकर मरते हैं।

जिसमें रही हमारी राष्ट्रीय मूल और अज्ञानके बारेमें क्या कहा जाय? असे देशमें अगर गरीबी और कंगाली घर करके बैठ जाय, तो जिसमें आश्चर्य क्या है? जिस गलतीको सुधारना भी अब एक बड़ा ग्रामोद्योग माना जाना चाहिये। उसमें से शायद नकद आमदनी न दिखायी दे; लेकिन उससे होनेवाली अप्रत्यक्ष आमदनी बहुत बड़ी और कीमती होगी।

और, उससे नकद आय भी क्यों नहीं होगी? गंदगी और कचरेका परिश्रम करके सुन्दर खाद तैयार करें, तो बिना पैसेका कीमती खाद मिलेगा। उससे जमीनका अपुजाअपुन जरूर बढ़ेगा। आज हमारे यहां खादकी कमी है। जिसलिये केन्द्रीय सरकारने खाद जैसी घर-घर और गांव-गांवमें फैली हुयी चीजके लिये सीदरीमें एक बड़ा कारखाना खोला है। उसमें करोड़ोंकी पूंजी लगाकर रासायनिक खाद तैयार किया जाता है। फिर उसे रेल द्वारा जगह-जगह भेजकर बेचनेका असफल प्रयत्न किया जाता है। और अब सुना है कि उसमें कोअी रुकावट आ गयी है। भारतका किसान अगर सीदरीके जिस कारखानेका मुहताज हो जाय, तो वह न सिर्फ परावलम्बी ही बनेगा, बल्कि उसे खादके लिये नकद पैसे भी देने पड़ेंगे। देशकी खेतीकी व्यवस्था सीदरी जैसे केन्द्रित खाद-कारखानेके आधार पर करना ठीक नहीं है। जिसके बदले किसान अपनी मेहनतसे आसानीसे खाद पा सकता है। यह ग्रामोद्योग और स्वच्छता साधनेका तरीका ही सच्चा और तुरन्त अमलमें आने लायक है। मेहनत द्वारा करोड़ों रुपये पैदा करनेका यह तरीका एक बड़ा ग्रामोद्योग है। जिसलिये गांवोंमें सुन्दरता, स्वच्छता और स्वास्थ्यकी प्रेरणा देनेवाले जिस कामको व्यवस्थित बनाकर नवजीवन प्रदान करना भी जिस बोर्डका अद्देश्य माना जायगा। उसे प्रेरणा और गति देनेका काम भी बोर्डको ही करना होगा। जिसके लिये एक योजना बनाकर राज्योंकी ग्रामपंचायतों और ग्रामविकास-मण्डलों द्वारा उसे अमलमें लानेका विचार करना चाहिये।

२८-२-५३
(गुजरातीसे)

मगनभाभी देसाबी

आबकारी-आय और शराबके कारण होनेवाले गुनाहोंका खर्च

बम्बयी राज्यमें संपूर्ण शराबबन्दीके बारेमें मंत्रि-मंडलने जो हिम्मत दिखायी है, वह स्वागतके लायक है। केन्द्रीय सरकारकी ओरसे तो कभी-कभी जिस तरहकी चेतावनी मिलती है कि शराब-ताड़ी आदिकी आयको छोड़ना राज्यकी आर्थिक स्थिरताकी दृष्टिसे खतरनाक है। आजकलके अर्थशास्त्री हमेशा केवल तात्कालिक स्थूल आर्थिक लाभ और अलाभका ही विचार करते हैं। शराब और ताड़ीके व्यापारसे जो आय होती है, उसकी हमेशा रुपये-आने-पायीमें ही गिनती की जाती है। जिस तरहकी गिनतीमें प्रजाके कल्याणका बहुत गौण स्थान रहता है। लेकिन रुपये-आने-पायीकी गिनतीके बारेमें भी आजके राजस्व विज्ञानके विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री बहुत अपूरी दृष्टिसे ही विचार करते हैं। यह सच है कि शराबबन्दीके कारण सरकारको शराबसे होनेवाली आय नहीं मिलती। यदि यह आय चालू रखनी हो, तो प्रजा भले मर्यादित रूपमें ही शराब-ताड़ी पीये, लेकिन जिसका व्यापार जारी रखा जाना चाहिये। जिसका मतलब यह हुआ कि सरकार जिस तरहकी अपवित्र आयके लिये प्रजाके अमुक वर्गको शराब-ताड़ीके व्यसनके लिये पूरी सहूलियत दे देती है। नतीजा यह होता है कि शराब-ताड़ी पीनेवाला वर्ग पैसे-टकेसे तो बरबाद होता ही है, साथ ही क्लेश, दंगे-फसाद, मारपीट और अनीति आदिके गुनाहोंका वातावरण भी बहुत भयानक बन जाता है। कोअी भी सरकार गुनाहोंको हरगिज बरदास्त नहीं कर सकती। गुनाहोंको काबूम रखनेके लिये और गुनहगारोंको सजा करनेके लिये पुलिस, अदालतों आदिका खर्च तो सरकारको करना ही पड़ता है। यह खर्च कितना अधिक होता है, जिसका खयाल बहुतांश नहीं होता। शराब-ताड़ीके व्यापारसे जितनी आय होती है, उससे कहीं अधिक खर्च शराब-ताड़ीकी बजहसे होनेवाले गुनाहोंको काबूम

रखनेके लिये होता है। आन्तरराष्ट्रीय टेम्परन्स मंडलके मंत्री श्री शार्फन बर्ग हाल ही में बम्बयी आये थे। उन्होंने इस सम्बन्धके अमेरिकाके जो अनुभव पेश किये, वे जानने लायक हैं।

अमेरिकामें भी कुछ वर्ष पूर्व पूर्ण शराबबन्दी थी। लेकिन वहाँकी प्रजाको यह बात बहुत पसन्द नहीं आयी। इसलिये फिरसे नशीले पेय छूटसे काममें आने लगे। परिणामस्वरूप नशेबाज लोगोंकी गुनाह करनेकी वृत्ति भी अुत्तेजित हुयी; गुनाह बढ़ते गये। शराबबन्दीके बन्द होनेसे नशीली चीजोंके व्यापारसे सरकारको आमदनी तो होने लगी, लेकिन गुनाहोंके बढ़नेसे उन्हें दबानेके लिये किया जानेवाला खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। अखबारोंके प्रतिनिधियोंके सामने शार्फन बर्गने इस बारेमें जो निवेदन किया, वह इस प्रकार है:

“शराबके कारण गुनाह करनेवालोंको पकड़ने तथा अदालतों, जेलों, पागलोंके दवाखानों, वाहन दुर्घटनाओं और शराबसे होनेवाले दूसरे गुनाहोंके बारेमें सरकारको जो भयंकर खर्च करना पड़ रहा है, उसका यदि हिसाब लगायें, तो यह साफ मालूम होगा कि सरकारको आबकारी-आयसे जो पैसे मिलते हैं, उसमें से इस भारी खर्चका चौथेसे दसवां भाग भी नहीं निकलता।

“मैं इस बारेमें दो ही मिसाल दूंगा। अमेरिकाके पूर्वमें मासाचुसेट राज्य है। वहाँकी धारासभाने अभी-अभी गुनाहोंके कारण होनेवाले सरकारी खर्चकी जांच करनेके लिये एक खास कमीशनकी नियुक्ति की है। कमीशनने अपनी ३८९ पृष्ठकी रिपोर्टमें बतलाया है कि शराबके व्यसनके कारण ही होनेवाले गुनाहों पर सरकारको जो खर्च करना पड़ा है, वह राज्यको शराबसे होनेवाली आयसे पांच गुना अधिक है। इस राज्यको छः करोड़ रुपयोंकी आबकारी-आय हुयी, जबकि शराबके व्यसनके कारण होनेवाले गुनाहों पर ३० करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा। दूसरी मिसाल पश्चिमके केलिफोर्निया राज्यकी है। वहाँ आबकारी-आयसे दस करोड़ रुपये मिले। लेकिन शराबके कारण होनेवाले गुनाहों पर १४० करोड़ रुपयेका खर्च हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि केलिफोर्निया राज्यमें १ रुपयेकी आबकारी-आयके पीछे उसके कारण होनेवाले गुनाहोंके लिये प्रजाको १० रुपये अधिक कर भरना पड़ता है।”

अमेरिकाके अनुभवसे यह बात स्पष्ट देखी जा सकती है कि रुपये-आने-पायीके हिसाबसे भी प्रजाको शराब पिलाकर सरकारको जितनी आय होती है, उसकी अपेक्षा दस गुना अधिक खर्च इस आयके लोभके परिणामस्वरूप होनेवाले गुनाहोंको दबानेके लिये होता है। पूर्ण शराबबन्दीकी नीतिसे सरकारको वह आय मिलना बन्द हो जाती है। लेकिन गुनाहोंको दबानेमें किये जानेवाले खर्चके लिये प्रजाको १० गुना अधिक कर भी नहीं देना पड़ता। इसलिये राज्यको शराबकी आबकारी-आयके बन्द होनेसे हरगिज घाटा नहीं होता, बल्कि अुलटा लाभ ही होता है। क्योंकि शराबके कारण होनेवाले गुनाहोंका खर्च घट जाता है। वैसे शुरुआतमें असा लगता है कि राज्यकी आबकारी-आय बन्द हो जाती है। लेकिन यदि शराबबन्दीकी नीति दृढ़तापूर्वक चालू ही रही, तो कुल मिलाकर सरकारको प्रजा पर बहुत कम कर डालने पड़ेंगे। क्योंकि गुनाहों पर होनेवाला खर्च कम हो जायगा; अथवा इस तरह कम होनेवाले खर्चके कारण बची हुयी रकम लोक-कल्याणके सही कामोंमें खर्च होगी। केन्द्रीय सरकारके अर्थमंत्री और बम्बयी राज्यके शराबबन्दीके विरोधी धारासभा-सदस्योंको अमेरिकाके अनुभवोंका निष्पक्ष दृष्टिसे अध्ययन करनेकी जरूरत है।

(गुजरातीसे)

बिलखुश धीवानधी

ग्रामोदय खादी-संघ — २

पिछले लेखमें ('हरिजनसेवक', २१ फरवरी, १९५३) हम देख चुके हैं कि खादीका काम गांवोंमें इसी कामके लिये बनायी हुयी ग्राम-समितियों द्वारा होना चाहिये। खादीके अुद्देश्य क्या हैं, जिस सवाल पर लोग अनेक और विविध दृष्टिकोण रखते हैं। ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध दृष्टि यह है कि खादी जनतामें फैली हुयी बेकारीको दूर करनेका साधन है। बेकारी दूर करना खादीके अत्यन्त महत्वपूर्ण अुद्देश्योंमें से एक है, यह बात बहुत जोर देकर कही जाती है। और वह है भी सही, अगर हम इस दृष्टिको पुरी तरह समझ लें, और उसके भीतर रहे संपूर्ण अर्थको हृदयंगम कर लें।

बेकारीके दो प्रकार हैं। बहुधा अुन लोगोंको बेकार माना जाता है, जिन्हें अन्नका अभाव है और जिनके पास पेट भरने तकका कोअी साधन नहीं है। लेकिन समाजमें अैसे लोग भी होते हैं, जिन्हें काम करनेका कोअी कष्ट इसलिये नहीं करना पड़ता कि वे अपनी सारी आवश्यकताओं दूसरोंकी मेहनतके बल पर पुरी करनेकी स्थितिमें होते हैं। यह भी बेकारीका ही एक रूप है। पहले प्रकारकी बेकारी काम न मिलनेके कारण होती है, तो दूसरी बेकारी अभीष्ट मेहनतसे बचनेकी अिच्छाका परिणाम है। पहलीकी जड़में लाचारी है, दूसरी आलस्य और आत्मगौरवके विकृत भावसे पैदा होती है। आज हम समाजके जीवनमें जो बहुतसा दुःख और अन्याय देखते हैं, उसका कारण अपने गौरवका यह विकृत भाव ही है। दोनों किस्मकी बेकारी कम या ज्यादा मात्रामें हर जगह मिलती है। खादीका अुद्देश्य समाजको बेकारीके अिन दोनों रूपोंसे मुक्त कर देना है। उसका मकसद है आलस्य और निष्क्रियताको विदा कर देना।

सच तो यह है कि बेकारीके ये दोनों रूप आपसमें संबंधित हैं। दोनों जीवनके प्रति एक समान दृष्टिकोणसे अुत्पन्न होते हैं। दोनोंकी जड़में वही एक समाज-व्यवस्था है और वही दोनोंका पोषण करती है।

मौजूदा समाज-व्यवस्था अैसी जंजीरोंका काम कर रही है, जो आदमीको आदमीकी सामाजिक और आर्थिक गुलामीमें बांधती हैं। यह व्यवस्था मनुष्य पर मजबूरीकी हालत लादती है और गरीबी फैलाती है। खादीका मकसद इस गुलामीका अन्त करना है। और इस मकसदको वह दूसरोंका आश्रय छोड़कर तथा स्वाश्रयी और स्वयंपूर्ण बनकर हासिल करना चाहती है।

अिसके सिवा, हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थाका सबसे अधिक खेदजनक लक्षण आज यह है कि गांवोंमें बहुतायतसे पैदा होनेवाली हमारी कच्ची अुपजका लोगोंके अुपयोगमें आनेवाला तैयार माल गांवोंमें नहीं बनता है। उसके लिये यह अुपज शहरोंमें, यहां तक कि दूर विदेशों तकमें भेजी जाती है। इस परिस्थितिका कारण यह है कि हमारे ग्रामोद्योग बढ़ नहीं पाते, अुबत्ति नहीं कर पाते तथा दूरके शहरोंकी यंत्रोंसे बननेवाली चीजोंने हमारे गांवोंमें बननेवाली चीजोंको हटा दिया है। गांवोंकी जनताको चाहिये कि वह इस दयनीय हालतसे अपना अुद्धार करे। ग्रामोदय खादी संघको देहाती जनतामें अितनी शक्ति पैदा करना है कि वह यह काम कर सके; साथ ही संघको अिसके लिये आवश्यक संघटन और तंत्रका निर्माण भी करना चाहिये। ग्राम-समितियोंको अपने-अपने क्षेत्रमें यही बड़ा काम कर दिखाना है।

सेवाग्राम

(अंग्रेजीसे)

कृष्णदास गांधी

श्री नवजीवन संस्थाका ३१ दिसम्बर १९५२ के दिनका बेलेन्सशीट

जमा	नामे
र० आ० पा०	र० आ० पा०
८,५६,५७७-१५-९ श्री आय-व्यय खाते पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी	३,१२,१५०-९-० जमीन-खरीदीके: खरीद कीमत पर पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
१,२२,०९५-०-० श्री मशीन घिसाजी फंड खाते	१६,३८,८७८-१३-६ श्री मकान खाते लागत कीमत पर
१२,०९५-०-० पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी	१६,३१,७८६-१५-६ पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
३०,०००-०-० चालू सालमें घिसाजीके जमा किये	७,०९१-१४-० चालू सालमें बढ़ती की
८१,५७९-५-० श्री प्रोविडेंट फंडकी रकम खाते	३९,०००-०-० श्री सामान-असबाब
१,३९,६८५-९-८ श्री मकान फंड खाते	३८,०००-०-० पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
१,०३,५३२-४-२ पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी	४,१९१-०-० चालू सालमें बढ़ती की
३६,१५३-५-६ चालू सालमें घिसाजीके जमा किये	४२,१९१-०-०
१,०९,६८१-५-६ श्री अमानत खाते	—३,१९१-०-० ५८-०-० विविध बिक्रीके
२,५८१-१०-० श्री हरिजनसेवक संघ, दिल्लीको पू० गांधीजीके वसीयतनामेके मुताबिक वार्षिक हिसाबसे देनेकी रकम	३,१३३-०-० चालू सालकी घिसाजी
१,०५,७४१-५-७ साप्ताहिकोंके चन्देकी, कापी राबिट वर्गैराकी अमानत देना बाकी	३,०२,६६२-४-६ श्री मशीन-विभागके
७७९-११-८ पुस्तक तथा वेतन अमानत	२,९८,६६०-६-६ पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
५७८-१०-३ बिक्री-कर अमानत	४,००१-१४-० चालू सालमें बढ़ती की
२०,७०,२३५-१-३ श्री कर्ज खाते	९६,३२०-९-३ श्री टाबिप विभागके
१०,३९,६५६-५-९ श्री महादेव देसाजी स्मारक ट्रस्टसे प्लॉट नं० ९६ की जमीन और भूस पर बंधे हुअे मकानोंकी अक्वीटेबल गिरवी पर ब्याजसहित	९९,२०६-५-० पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
१०,३०,५७८-११-६ विविध व्यक्तियोंसे बिना जमानतकी ब्याजसहित रकम — प्रमाणित यादीके अधीन	२२,११४-४-३ चालू सालमें बढ़ती की
१,७४,७४७-९-३ श्री जिम्मेदारी	१,२१,३२०-९-३
४२,०६८-८-० खर्च पेटे	—२५,०००-०-० चालू सालकी घिसाजी
१,३२,६७९-१-३ माल पेटे, पुस्तक अमानत, विविध कर्ज वर्गैरा	१३,०००-०-० श्री टाबिप-फाअुण्डरीके माल वर्गैराकी, चालू सालमें ट्रस्टकी टाबिप-फाअुण्डरीमें जो टाबिप वर्गैरा बनाया गया, उसकी कीमतके व्यवस्थापकड्रस्टी द्वारा आंकी हुअी कीमत की प्रमाणित यादीके मुताबिक
	९,१६,९६५-०-० श्री मालका स्टाक व्यवस्थापकड्रस्टीकी प्रमाणित यादीके मुताबिक: लागत कीमतके आधार पर
	७,७०,०००-०-० पुस्तकोंका स्टाक
	१,३४,०००-०-० कागजका स्टाक
	८,५००-०-० प्रेस-मशीन स्टाक
	४,२००-०-० जिल्द-बंधाजीके सामानका स्टाक
	२६५-०-० खादीका स्टाक
	५१,८११-६-० श्री अनुवादकोंको, तथा मालकी अमानत वर्गैरा खातेकी रकमें
	८९,०६२-१५-६ दूसरोंसे वसूल की जानेवाली रकम: बगैर जमानतकी
	८४,७३०-१-० पुस्तकोंकी बिक्री वर्गैरा सम्बन्धी वसूल की जानेवाली विविध रकमें
	२,७०५-०-० प्रोविडेंट फंडमें से कर्म-चारियोंको दिया हुअा कर्ज
	१,६२७-१४-६ कर्मचारियोंसे वसूल किया जानेवाला विविध कर्ज

३५,५४,६०१-१४-५

हमने श्री नवजीवन संस्थाका ता० ३१-१२-१९५२के दिन समाप्त हुअे वर्षका अूपरका बेलेन्सशीट और साथका अुसी दिन समाप्त हुअे वर्षके आय-व्ययका हिसाब हिसाबबहियोंके साथ जान्चा है। असमें हमने हर तरहका जरूरी स्पष्टीकरण और जानकारी हासिल की है। हम मानते हैं कि हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और संस्थाकी हिसाबबहियोंके मुताबिक अूपरका बेलेन्सशीट संस्थाकी सच्ची स्थिति बताता है।

ता० २-३-५३
५१, महात्मा गांधी रोड,
फोर्ट, बम्बयी

नानुभाजीकी कंपनी
चार्टर्ड अेकाअुन्टेन्ट्स
ऑडिटर्स

७,०५१-४-० श्री मकानभाडेके, दावेके सिलसिलेमें त ।
सरकारके पास डाक-तार बंगरा विभागकी
अमानतके
७५,०००-०-० अहमदाबाद पीपुल्स कोआपरेटिव बैंकमें फिक्स्ड
डिपोजिटमें प्रोविडेंट फंडकी रकम जमा
१५-०-० अहमदाबाद पी० को० बैंकका १ शेयर,
जिसकी पुरी रकम भर दी गयी है
१,५९१-३-० फिक्स्ड डिपोजिट पर चढ़े हुअे ब्याजके
११,०९२-१३-८ नकद तथा बैंकमें
९,३७७-७-८ बैंकोंके चालू खातेमें जमा
१७३-०-० डाकके टिकटोंके
१,५४२-६-० नकद बाकी हाथ पर: मेलके
मुताबिक

३५,५४,६०१-१४-५

रविशंकर दवे
हिसाबनवीस

जीवणजी डा० देसायी
व्यवस्थापकट्रस्टी

श्री नवजीवन संस्थाका ३१ दिसम्बर १९५२ के दिन पूरे हुअे वर्षके आय-व्ययका हिसाब

जमा	नामे
र० आ० पा०	र० आ० पा०
३,३६,८२१-६-६	श्री मुद्रणालय विभागकी छपायी, कागज खरीदी, पुस्तकोंकी जिल्द-बंधायी, टाइप-फायुण्डरी बंगरासे हुअी कुल आय
८५,५५०-७-९	श्री पुस्तक-बिक्री विभागकी कुल आय
१८,०८६-१२-६	श्री प्रूफ-रीडिंग व अनुवाद विभागकी कुल आय
५,२५४-९-०	श्री पुस्तक पुरस्कार (रायल्टी) विभागकी कुल आय
३,८३१-८-९	श्री मकान भाड़ा विभागकी कुल आय
१६,९६६-७-०	मकान भाड़ेसे हुअी आय अिसमें से:—
१३,१३४-१४-३	म्युनिसिपल टैक्स तथा शाखा-ओंका मकान भाड़ा बंगराका खर्च बाद करके
१०,४१९-२-०	श्री पत्र विभागकी कुल आय—वेतन, डाक-तार, पोस्टेज, स्टेशनरी बंगराका खर्च छोड़कर
८५-०-०	श्री जमीनसे हुअी आय
४,६०,०४८-१४-६	

जमा	नामे
र० आ० पा०	र० आ० पा०
२,५३,७५७-५-९	श्री वेतन खर्चके तथा प्रोविडेंट फंडके ब्याजसहित
७,४९३-२-९	श्री डाक-तार, पोस्टेज, रवानगी, और लायब्रेरी तथा स्टेशनरी खर्चके
९,२८०-१२-९	श्री टेलिफोन तथा अिलेक्ट्रिक लाइटके खर्चके
८,२५३-२-९	श्री मुसाफिरी, विविध, औषधालय, खादी-खरीदी खर्च तथा ऑडिटरके मेहनतानेके
५५६-१५-३	श्री जमीन-महसूल खर्चके
४,८१८-२-०	श्री बीमा प्रीमियम खर्चके
२०,७५५-१५-९	श्री प्रेस-मशीन खर्चके
१,५६९-८-९	श्री जमीन तथा मकान-मरम्मत खर्चके
५९,२७७-७-३	श्री ब्याज-बट्टेके
६६,९३२-३-९	दिये हुअे ब्याज-बट्टेके
—७,६५४-१२-६	मिले हुअे ब्याज-बट्टेके
५८,१३३-०-०	श्री घिसायी खर्चके (डिप्रीसियेशन चार्ज)
५५,०००-०-०	मशीन और टाइपकी घिसायीके
३,१३३-०-०	सामान-असबाबकी घिसायीके
३६,१५३-५-६	श्री बाकी मकान-घिसायीके, जो श्री मकान-फंड खातेमें बेलेन्सशीटमें ले गये
४,६०,०४८-१४-६	

ता. २-३-५३
५१, महात्मा गांधी रोड,
फोर्ट, बम्बयी

नानुभाजीकी कंपनी
चार्टर्ड अेकाअुन्टेन्ट्स
ऑडिटर्स

रविशंकर दवे
हिसाबनवीस

जीवणजी डा० देसायी
व्यवस्थापकट्रस्टी

शराबबन्दी और विकासका कार्यक्रम

बम्बयी राज्यमें अकालके कारण अन्नकी कमीका सवाल पैदा हो गया है। अन्नकी कमीकी ऐसी कठिन परिस्थिति वहां पिछले अनेक सालोंमें कभी नहीं हुयी। राज्यकी देहाती आबादी दो करोड़ चौबीस लाख है। समाचारोंसे प्रगत होता है कि इसका करीब चौथायी हिस्सा अकालसे पीड़ित है। परिस्थितिकी गंभीरताका अनुभव करते हुये केन्द्रके अर्थमंत्री श्री सी० डी० देशमुखने असे केन्द्रीय सरकारकी ओरसे ऐसी आकस्मिक परिस्थितियोंके लिये पंचसाला योजनामें स्वीकृत १४ करोड़ रुपयोंकी रकममें से ७ करोड़ रुपया देनेका वचन दिया है। साथ ही २८ जनवरीको पुनामें हुयी प्रेस-कान्फरेंसमें अन्होंने बम्बयी सरकारको यह सलाह भी दी कि वह अकालकी परिस्थितियोंका खयाल करके अपनी शराबबन्दीकी नीति पर 'पुनर्विचार करे'। श्री देशमुख पक्के सिविलियन रहे हैं, इसलिये अउनका ऐसी सलाह देना बहुत अजीब बात नहीं है। लेकिन अउसे सरकारकी मनोवृत्तिका पता जरूर लगता है। इसलिये जब इस सवाल पर बम्बयीके महसूल-मंत्रीने यह कहा कि 'शराबबन्दीकी नीतिसे हटनेकी तो कोअी बात ही नहीं है, हम अउ पर पुनर्विचारकी भी आवश्यकता नहीं मानते', तब बड़ी खुशी हुयी।*

पश्चिम बंगालमें इससे ठीक अउलटी घटना हुयी। पी० टी० आजी० की अक खबरका कहना है कि—

“पश्चिम बंगालकी सरकार शराबबन्दीकी योजनाको अनिश्चित कालके लिये स्थगित रखनेका विचार रखती है, ताकि अउसे जो पैसा मिलता है, वह साराका सारा पंचसाला योजनाके अन्तर्गत विकासकी योजनाओं पर ही खर्च किया जा सके।”

अिसी खबरमें आगे यह कहा गया है:

“सरकारी प्रवक्ताने बताया कि शराबबन्दीको पंचसाला योजनाकी समाप्ति तक रोक रखनेका कारण पैसेकी कठिनायी है, शराबबन्दीकी अपयोगितामें विश्वासकी कमी नहीं।”
(‘स्टेट्समेन,’ ३ फरवरी, १९५३)

अिस समाचारसे ये नतीजे निकलते हैं कि जहां तक पश्चिम बंगाल सरकारका संबंध है:

(१) पंचसाला योजनामें शराबबन्दीको कोअी स्थान नहीं है।

(२) विकासकी योजनाओंको शराबबन्दी पर तरजीह दी जायगी। और

(३) विकास और शराब दोनोंको साथ-साथ बढ़नेका मौका दिया जानेवाला है।

कहनेकी जरूरत नहीं कि यह नीति बंबयी सरकारकी नीतिसे ठीक अउलटी है, भले वह केन्द्रीय सरकारको पसन्द हो। अिस तरह पंचसाला योजनाको हमारे देशकी दो राज्य-सरकारें दो विरुद्ध तरीकोंसे कार्यान्वित करना चाहती हैं। और ये दोनों अुस संविधानके अधीन काम कर रही हैं, जो साफ-साफ कहता है:

“राज्यं नशा करनेवाले सारे पेय पदार्थों तथा स्वास्थ्यके लिये नुकसानदेह दूसरे मादक द्रव्योंकी खपत बन्द करनेकी कोशिश करेगा; अलबत्ता, अिन पदार्थोंके दवा-रूप अपयोगको छोड़कर।”

‘नशा करनेवाले द्रव्योंकी खपत रोकनेकी कोशिशमें’ पश्चिम बंगाल सरकारने जो कदम पहले अुठाये थे अन्हें वह वापिस ले रही है, यह बात हमारे संविधानकी सीधी अवज्ञा है या नहीं, अिसका निर्णय तो कानूनके पंडित करेंगे। लेकिन ज्यादा दुःख तो

* बम्बयी सरकारके १९५३-५४ के बजटमें शराबबन्दीकी नीति कायम रखी गयी है, और अगरचे दुभिक्षकी परिस्थितियोंके प्रतिकारकी पूरी व्यवस्था की गयी है, तो भी बजटमें कोअी घाटा नहीं हुआ है।

— सं०

अिस विषयमें भारत सरकारकी नीतिको देखकर होता है। वह भारतीय जनताके साथ द्रोह है।

अिलाहाबाद, ६-२-५३
(अंग्रेजीसे)

सुरेश रामभाजी

हिन्दीके सामने खतरा

नीचेका हिस्सा अलीगढ़से २० फरवरीको भेजी हुयी पी० टी० आजी० की अक खबरसे लिया गया है:

“हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके समक्ष भाषण करते हुये श्री पुरुषोत्तमदास टंडनने कहा कि हिन्दीका प्रश्न जरूरी तौर पर भारतकी अकता और सुदृढ़ताके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हिन्दीकी अपेक्षा की गयी और जनताकी भाषाके नाते अउसकी स्थिति कमजोर पड़ गयी, तो राष्ट्र भी जरूर कमजोर पड़ जायगा।

“श्री टंडनने हिन्दीके सामने खड़े अिन दो खतरोंसे भी लोगोंको आगाह किया— (१) अंग्रेजीका प्रेम और (२) अुत्तर प्रदेशमें अुर्दूको प्रादेशिक भाषा घोषित करानेका आन्दोलन।”

हम यह बात स्वीकार कर सकते हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रश्न देशकी अकताके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देशमें कअी भाषायें बोली जाती हैं। अिसलिये हमारे यहां अक ऐसी भाषाका होना जरूरी है, जो आन्तरप्रान्तीय और अखिल भारतीय व्यवहारका सर्वसामान्य वाहन बन सके। बेशक, अंग्रेजी वह भाषा नहीं हो सकती; हमारी सारी प्रादेशिक भाषाओंमें हिन्दी ही अिसके लिये सबसे अनुकूल है। लेकिन वह हिन्दी अुत्तर प्रदेशकी संस्कृत शब्दोंसे लदी हुयी या फारसी शब्दोंसे भरी हुयी हिन्दी नहीं है। जैसा कि गांधीजीने बार-बार कहा है, वह अुत्तरकी सर्वसामान्य सीधी-सादी भाषा है, जिसे बिना किसी जाति या धर्मके भेदके सब लोग बोलते हैं। वह हिन्दी और अुर्दूका सुन्दर मेल है। हिन्दी साहित्य-सम्मेलनने अिस चीजको स्वीकार नहीं किया है; न वह भारतके विधानको ही स्वेच्छासे मानता है, जिसकी धारा ३५१ में राष्ट्रभाषाके निर्माण और विकासका नियम बताया गया है। सम्मेलन यह मानता दीखता है कि अुर्दूका बहिष्कार करनेवाली हिन्दी, जिसका आज अुत्तर प्रदेशमें साहित्यिक भाषाके तौर पर विकास किया जा रहा है, राष्ट्रभाषा होनी चाहिये। अगर राष्ट्रभाषाके विकासके लिये कोअी खतरा हो, तो वह अुर्दूके बहिष्कारकी यह संकुचित भावना ही है, जो कि हमारी अकता और मिलीजुली संस्कृतिकी जड़ खोद रही है; अुर्दूसे या अुर्दूको अुत्तर प्रदेशकी प्रादेशिक भाषा स्वीकार करनेकी मांगसे अउसे कोअी खतरा नहीं है। अुर्दू तो अुत्तर प्रदेशकी प्रादेशिक भाषा है ही और हमारे देशकी अकता और सुदृढ़ता तथा मिलीजुली संस्कृतिके विशाल हितकी दृष्टिसे अउसे प्रादेशिक भाषा स्वीकार करना भी चाहिये। सच्ची राष्ट्रभाषाके विकासके लिये भी अैसा करना जरूरी है।

१२-३-५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभाजी देसाजी

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ
अनिवार्य शिक्षा	गांधीजी १७
हाथ-अुद्योग द्वारा क्रान्ति	मगनभाजी देसाजी १७
यह काफी नहीं है	मगनभाजी देसाजी १८
दुराचार और आधुनिक परिस्थितियां	कनैयालाल मुंशी १९
स्वच्छता, खाद और कूड़ा-करकट	मगनभाजी देसाजी २०
आबकारी-आय और शराबके कारण होनेवाले गुनाहोंका खर्च	दिलखुश दीवानजी २०
ग्रामोदय खादी-संघ — २	कृष्णदास गांधी २१
नवजीवनके हिसाबका बेलन्सशीट — १९५२	जीवनजी डा० देसाजी २२
शराबबन्दी और विकासका कार्यक्रम	सुरेश रामभाजी २४
हिन्दीके सामने खतरा	मगनभाजी देसाजी २४